(ख) क्या उक्त लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कम है;

(ग) चीनी उद्योग में इसके कम उत्पादन के क्या-क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने नागरिक आपूर्ति प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों, सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार के लिए, पृथक पृथक रूप से प्रति किलोग्राम चीनी के क्या-क्या मूल्य निर्धारित किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) चीनी उत्पादन का राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है । तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति ने 1992-93 मौसम के लिए 121.68 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 1993-94 चीनी मौसम के लिए 127.76 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था । 1992-93 चीनी मौसम के दौरान चीनी का कुल उत्पादन 106.09 लाख टन हुआ था। चीनी उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति से पता चलता है कि चालू 1993-94 चीनी मौसम में पूरे मौसम के दौरान चीनी का वास्तविक उत्पादन 1992-93 मौसम के उत्पादन से कम होगा ।

(ग) चीनी उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से गुड़ व खांडसारी क्षेत्रों की ओर गन्ने के अत्यधिक विपणन के कारण आई है ।

(घ) और (ङ) सरकार ने 1-2-1994 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई की जाने वाली लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है । सरकार सुपर बाजार या केन्द्रीय भंडार के माध्यम से बेची जाने वाली चीनी का मूल्य निर्धारित नहीं करती है ।

भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न से लदे ट्रकों का लापता होना

5078. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या खाद्य मंत्री 4 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गेहूं तथा चावल से लदे कई ट्रकों के लापता होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम की ओर से हुई लापरवाही की जांच करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) वह कौन-कौन से मार्ग हैं जहां से ये लापता ट्रक गायब हो गए थे तथा इन ट्रकों में लदे खाद्यान्नों की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की इसमें अंतर्ग्रस्तता होने का कोई संकेत है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) दिसम्बर, 1993 तक पुनर्मिलान न हुए बताए गए 895 ट्रकों (न कि लापता) में से 527 ट्रकों का पुनर्मिलान कर लिया गया है जिससे 368 ट्रक शेष रह जाते हैं । पुनर्मिलान करना एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

पंजाब से जम्मू अधिकांशत: रेल द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई की जाती है । जम्मू से श्रीनगर/घाटी में ट्रकों से खाद्यान्न ले जाया जाता है । जो ट्रक श्रीनगर/घाटी में खाद्यान्न लेकर जाते हैं वे वापसी में फल और सब्जियां आदि लाते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे जम्मू में स्थित भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में पावतियां जमा करवाएं । तथापि, ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां वापस आने पर उन्होंने जम्मू में स्थित कार्यालय में पाव-

तियां जमा नहीं करवाई । पुनर्मिलान न होने की वजह से विसंगतियां होने के कई कारण हैं जिनमें से प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति अस्थिर होने के कारण कई बार राज्य सरकार द्वारा ट्रकों को बीच में ही रोक लिया जाता है और भारतीय खाद्य निगम की सहमति/सूचना के बिना उनसे माल उतार लिया जाता है;

(2) कभी-कभी कर्फ्यू/बंद होने की वजह से घाटी में कई-कई दिनों तक ट्रक रुके रह जाते हैं ।

(ख) यद्यपि 116 ट्रकों के ऐसे मामलों को राज्य की पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है जिनके बारे में जांच करने पर यह पाया गया था कि वे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे भारतीय खाद्य निगम पर लापरवाही बरतने का आरोप सिद्ध होता हो ।

(ग) जिन ट्रकों का पुनर्मिलान नहीं हुआ है वे जम्मू से श्रीनगर घाटी में ले जाए जा रहे थे । जब तक पुनर्मिलान करने का कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक ये ट्रक लापता हो गए नहीं कहे जा सकते हैं ।

(घ) 116 ट्रकों के मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो/स्थानीय पुलिस को सौंप दिए गए हैं और जांच कार्य पूरा हो जाने के बाद ही इन मामलों में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के अंतर्ग्रस्त होने के बारे में जानकारी मिल पाएगी ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छत्तीसगढ़ में चीनी मिल

5079. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ (रायपुर दुर्ग जिलों) में एक चीनी मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्तावित चीनी मिल की अनुमानित लागत क्या होगी और इस परियोजना हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) चीनी के उत्पादन का कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) बिबकोनी पारशवनी, तहसील महासमुंद, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में 2500 टी. सी. डी. क्षमता की एक नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए उद्योग मंत्रालय के माध्यम से मै. छत्तीसगढ़ चीनी मिल लि. से दिनांक 4-3-94 को एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ग) प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री की अनुमानित लागत जैसा कि आवेदक पार्टी ने सूचित किया है 32 करोड़ रुपये होगी । तथापि, केन्द्र सरकार नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं करती है ।

(घ) और (ङ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं क्योंकि तैयार करने हेतु गठित समिति ने चीनी